(43)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18/2018/प्रा.पत्र/2018	14.02.2018	01.08.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री राजेश कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक निवासी शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज0

2– मैसर्स राजेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक

3–श्री कृष्ण कुमार शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स व्यासो का मोहल्ला ग्राम पंचायत के पास निवाई जिला टोंक राज0

4– मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स व्यासो का मोहल्ला ग्राम पंचायत के पास निवाई जिला टोंक राज0

5–श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह निवासी 68 ए गणेश नगर प्रथम बेनाड रोड हरमाडा जयपुर प्रोपराइटर मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स दुकान नं. 104 फर्स्ट फलोर बी–12 सेन्ट्रल टॉवर सेन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0 ई 237 रोड नं. 6 डी वीकेआई एरिया जयपुर

6– मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स दुकान नं. 104 फर्स्ट फलोर बी–12 सेन्ट्रल टॉवर सेन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0 ई 237 रोड नं. 6 डी वीकेआई एरिया जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 01.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.10.2017 को समय 4.42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री राजेश कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक निवासी शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)** जिसके बैच नं.14 व पैकिंग दिनांक मई 2017 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 900–900 ग्राम पैक के कुल 11 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे दुकान की रैंक मे **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)** मे से 4 नग 900–900 ग्राम साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेश कुमार जैन को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 879
टोंक

Scanned by CamScanner

रू0 480/—अक्षरे चार सो अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)** 4 मूल नग 900—900 ग्राम के 1—1 पैकेटो को नियमानुसार चार भाग बनाये व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—1748 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—1748 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. राजेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राजेश कुमार जैन ने मौके पर **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)** बतौर वारन्टी मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स व्यासो का मोहल्ला ग्राम पंचायत के पास निवाई जिला टोंक राज0का वेट इन्वॉइस नं. 65 दिनांक 05.10.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स व्यासो का मोहल्ला ग्राम पंचायत के पास निवाई जिला टोंक राज0 ने मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स दुकान नं. 104 फर्स्ट फलोर बी—12 सेन्ट्रल टॉवर सेन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0 ई 237 रोड नं. 6 डी वीकेआई एरिया जयपुर का बिल क्रमांक/इन्वॉइस न 0388 दिनांक 28.06.2017 के वारंटी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4781 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/678/एक्ट/2017/678 दिनांक 30.10.2017 अनुसार राजेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक **(Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने वहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइड पाम ऑयल मधु श्री मूल पैक (Refined Palm Oil Madhu Shree Origional Pack)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 अप्रार्थी श्री राजेश कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड पीपलू जिला टोंक निवासी शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज0 पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री कृष्ण कुमार शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स व्यासो का मोहल्ला ग्राम पंचायत के पास निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह निवासी 68 ए गणेश नगर प्रथम बेनाड रोड हरमाडा जयपुर प्रोपराइटर मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स दुकान नं. 104 फर्स्ट फलोर बी–12 सेन्ट्रल टॉवर सेन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0 ई 237 रोड नं. 6 डी वीकेआई एरिया जयपुर पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। । अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner